संख्या-123/2025/2502/30-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर,2025

विषय :- भारत सरकार के पोर्टस, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया मेरीटाइम वीक (IMW) 2025 (27 से 31 अक्टूबर, 2025) हेतु धनराशि की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-152ज0प0/2025-01ज0प0प्रावि0/2024, दिनांक 21 अक्टूबर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पोर्टस, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया मेरीटाइम वीक (IMW) 2025 (27 से 31 अक्टूबर, 2025) में सहभागिता हेतु रू0 1.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध कियागया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-I/1121306/30-3-2025(ई-1934744), दिनांक 18 अक्टूबर, 2025, जिसमें प्रश्नगत कार्यक्रम में सहभागिता हेतु रू0 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया है, को निरस्त करते हुए उक्त कार्यक्रम हेतु परिवहन विभाग की की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से धनराशि रू0 25.00 लाख लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञापसंख्या-6/2025/बी-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-123/2025/2502(1)/30-3-2025, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।